(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES
VYAPAR BHAWAN: I.P. ESTATE: NEW DELHI- 110 002

No. F3(643)/Policy/VAT/2016/ 419-31 Dated: 1-7-16

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred on me under the fourth proviso to sub-rule (3) of rule 28 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005 and in supersession of Notification No. F3(643)/Policy/VAT/2016/1585-1597 dated 01/03/2016 and No. F3(643)/Policy/ VAT/ 2016/157-169 dated 03/05/2016 I, S. S. Yadav, Commissioner, Value Added Tax, Government of NCT of Delhi, do hereby require that–

- the dealers, whose gross turnover (i.e. turnover under the Delhi Value Added Tax Act, 2004 plus turnover under the Central Sales Tax Act, 1956) during the financial year 2015-16 exceeded one crore rupees, shall furnish their returns in Form DVAT 16 or in Form DVAT 17, as the case may be, with digital signatures in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 for the tax period 1st April, 2016 to 30th June, 2016 and subsequent tax periods; and
- the dealers who are registered under the Delhi Value Added Tax, 2004 on or after 1st April, 2016 shall furnish their returns in Form DVAT 16 or in Form DVAT 17, as the case may be, with digital signatures in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 for the tax periods following the year during which their gross turnover exceeds one crore rupees.

Explanation 1- In view of the provisions of sub-rule (1) of rule 3 of Central Sales Tax (Delhi) Rules, 2005, where the return under the Delhi Value Added Tax Act, 2004 is required to be filed with digital signatures, the return in Form 1 shall also be required to be filed with digital signatures.

Explanation 2- The dealers other than those who are mandatorily required to file returns through digital signatures under this notification can also, at their own option, file their returns through digital signatures.

Explanation 3- Dealers filing their return through digital signatures are not required to submit the return verification form in Form DVAT 56 for acknowledgement of the return separately.

Explanation 4- The dealers once started filing returns with digital signatures shall continue to file the returns with digital signatures even if their annual turnover falls below one crore rupees any time in future.

This notification shall come into force with immediate effect.

(S. S. Yadav)
Commissioner, Value Added Tax

No. F. 3(643)/Policy/VAT/2016/ 419 - 31 Dated 1-7-16

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi for publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary (Finance), Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi-02
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi-02
4. The Secretary to the Deputy Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi-02
5. All Special/Addl./Joint Commissioners, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I,P. Estate, New Delhi.
6. The Spl. Commissioner (PR), Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi to arrange to give wide publicity to this notification.
7. The Joint Commissioner (System), Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I,P. Estate, New Delhi to upload the notification on the website of the Department.
8. The Registrar, VAT Appellate Tribunal, Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The President/Secretary, Sales Tax Bar Association (Regd.), Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
10. The Joint Director (IT), Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
11. All Asstt. Commissioners/AVATOs Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi through their Zonal Incharges.
12. All dealers registered with the Department of Trade and Taxes, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
13. Guard File.

(Anil Kumar)
Asstt. Commissioner (Policy)

दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी राज्य–क्षेत्र दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग
व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002.

सं.फा.3(643)/नीति/वैट/2016/ 419-31 दिनांक : 1-7-16

अधिसूचना

मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 के उपनियम (3) के चतुर्थ परन्तुक के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या फा.3(643)/नीति/वैट/2016/ 1585–1597 दिनांक 01/03/2016 एवं संख्या फा.3(643)/नीति/वैट/2016/157–169 दिनांक 03/05/2016 के अधिक्रमण **(supersession)** में, मैं, एस0 एस0 यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्द्वारा अपेक्षा करता हूँ कि –

– वे डीलर जिनकी सकल बिक्री (अर्थात् दिल्ली मूल्य संवर्धित कर, 2004 के अन्तर्गत कुल बिक्री जमा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कुल बिक्री) वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान एक करोड़ रुपये से अधिक थी उन्हें 01 अप्रैल, 2016 से 30 जून, 2016 की कर अवधि तथा उत्तरवर्ती सभी कर अवधियों के लिये सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फार्म डीवैट–16 अथवा फार्म डीवैट–17, जैसी भी स्थिति हो, में रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी; तथा

– वे डीलर, जो 01 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात् दिल्ली मूल्य संवर्धित कर, 2004 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए हैं उन्हें किसी वर्ष के दौरान उनकी एक करोड रुपये से अधिक सकल बिक्री होने पर, उस वर्ष के पश्चात आने वाली सभी कर अवधियों के लिये सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फार्म डीवैट–16 अथवा फार्म डीवैट–17, जैसी भी स्थिति हो, में रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी।

स्पष्टीकरण 1– केन्द्रीय बिक्री (दिल्ली) नियमावली, 2005 के नियम 3 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार जहाँ दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रिटर्न दाखिल की जानी आवश्यक हो, तो फार्म–1 में रिटर्न डिजिटल हस्ताक्षर के साथ भरी जानी भी आवश्यक होगी।

स्पष्टीकरण 2– इस अधिसूचना के अन्तर्गत जिन डीलरों को डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है उनके अलावा अन्य डीलर भी अपने स्वयं के विकल्प पर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण 3– डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से अपनी रिटर्न दाखिल करने वाले डीलरों को अलग से रिटर्न की पावती के लिये फार्म डीवैट–56 में रिटर्न सत्यापन फार्म प्रस्तुत करने आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरण 4– जिन डीलरों ने एक बार डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रिटर्न दाखिल करना प्रारंभ कर दिया है, यदि भविष्य में किसी समय उनकी वार्षिक कुल बिक्री एक करोड़ रूपये से कम भी रहती है तो भी उन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रिटर्न दाखिल करना जारी रखना होगा।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

सज्जन सिंह

(एस0 एस0 यादव)
आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

सं.फा.03 (643)/नीति/वैट/2016/ 419-31 दिनांक : 1-7-16

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
2. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव, उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

5. समस्त विशेष/अपर/संयुक्त आयुक्त, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

6. विशेष आयुक्त (जनसंपर्क), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को इस अधिसूचना के व्यापक प्रचार हेतु।

7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को, अधिसूचना को विभाग की वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।

8. रजिस्ट्रार, दिल्ली मूल्य संवर्द्धित कर अपील अधिकरण, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।

9. अध्यक्ष/सचिव, बिक्री कर बार एसोसिएषन (पंजीकृत), व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

10 संयुक्त निदेषक (आईटी), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली।

11. समस्त सहायक आयुक्त/सहायक वैट अधिकारी, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को जोनल इंचार्ज के माध्यम से ।

12. व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली से पंजीकृत सभी व्यापारी ।

13. गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार)
सहायक आयुक्त (नीति)